**विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निर्देश व सूचनाएं :**

- समानता की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की सभी छात्राओं के लिये गणवेश अनिवार्य है (सिर्फ गुरूवार को छोड़कर) ।
- **गणवेश :** कुर्ता–हल्का गुलाबी, सलवार–सफेद, चुन्नी–सफेद, स्वेटर – मेहरून, जूते–काले, मोजे–सफेद।
- छात्रा प्रवेश पत्र में दिया गया पता किसी कारणवश बदलने पर इसकी लिखित सूचना महाविद्यालय कार्यालय में संरक्षक के हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें।
- अध्ययन काल में यदि आप आर्थिक लाभ वाला कोई कार्य स्वीकार करते हैं तो उसकी सूचना कालेज कार्यालय में अनिवार्य रूप से देनी होगी।
- अपनी अंकतालिका एवं अन्य प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां सत्यापित करवाकर पर्याप्त संख्या में रख लेवें। शैक्षणिक शाखा में अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र जमा करवाने के पश्चात् पुनः निकलवाना संभव नहीं होगा।
- महाविद्यालय कार्य समय में खाली कालांश के समय छात्राएँ अपने समय का उपयोग पुस्तकालय, वाचनालय में करें।
- छात्राएँ महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान रखते हुए महाविद्यालय के किसी शिक्षक व कर्मचारी से बातचीत व व्यवहार में अभद्रता न करें ।
- महाविद्यालय में तम्बाकु एवं धूम्रपान तथा अन्य मादक पदार्थों का उपयोग सर्वथा निषिद्ध है। ऐसे मादक पदार्थों का उपयोग करने वाले छात्रा को तुरन्त निलंबित किया जा सकता है।
- महाविद्यालय परिसर में छात्राओं के अतिरिक्त अन्य अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। चुनाव के दौरान व अन्य मौकों पर छात्राएँ ऐसे अनधिकृत तत्वों का महाविद्यालय में प्रवेश रोकें जिससे महाविद्यालय की गरिमा को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।
- प्राचार्य कक्ष में छात्राएँ समूह में प्रवेश न करे तथा अनुमति प्राप्त कर ही प्रवेश करें।
- छात्राएँ नियमित रूप से सूचना पट्ट देखें। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई सूचनाओं को फाड़ना, बिगाड़ना व इस पर कुल लिखना दण्डनीय कृत्य है, क्योंकि ऐसा करने से संबंधित छात्र ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते है।
- छात्रसंघ चुनाव के दौरान भवन के बाहर व भीतर दीवारों पर लिखना, पोस्टर चिपकाना, चित्र बनाना तथा दरवाजे खिड़कियां गदां करना मना है। इस कृत्य के लिये महाविद्यालय प्रशासन, छात्रों से परिसर की सफाई का खर्चा वसूल कर सकता है। छात्रसंघ चुनाव प्रचार हेतु प्रत्याशी कपड़े के बैनर का उपयोग कर सकेगें। चुनाव प्रचार में कई विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय को सामूहित रूप से गंदा करने पर सामूहिक रूप से खर्चा वसूला जा सकेगा।
- छात्राओं से अपेक्षा है कि अध्ययन के साथ वे महाविद्यालय के अन्दर या बाहर ऐसा कोई कार्य या आचरण ना करें जिससे उसकी अर्जित ख्याति को क्षति पहुँचे। छात्राओं से कर्तव्यपरायणता और शालीन आचरण की अपेक्षा की जाती है। महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाये रखना उनका सर्वोपरि कर्तव्य है।

- महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के बाद यदि किसी छात्रा का आचरण आपत्तिजनक पाया गया या उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया तो वह दण्डनीय अपराध होगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय में मोबाईल का उपयोग वर्जित है उपयोग करते हुए पाये जाने पर मोबाईल जब्त कर लिया जावेगा।

## उपस्थिति के नियम :

- महाविद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
- उपस्थिति की गणना प्रत्येक प्रश्न–पत्र एवं विषय में अलग अलग की जाएगी। जिन विषयों में प्रायोगिक कक्षाएं भी होती है, उनमें प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति की गणना अलग से की जायेगी।
- 75% से कम उपस्थिति होने पर छात्रा को चुनाव/छात्रवृत्ति/ विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
- जो छात्रा एक माह तक अथवा अधिक समय तक अपनी कक्षा में निरन्तर अनुपस्थित रहता है उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- छात्राओं को चाहिये कि प्रत्येक टर्म के अन्त में उपस्थिति सम्बंधी सूचना सभी व्याख्याताओं से प्राप्त कर लें।

## रैगिंग संबधी सूचनाएं :

- **रैगिंग :** किसी भी प्रकार के विश्रिंखल आचरण, जो या तो मौखिक अथवा लिखित या कार्य द्वारा किया जाता है, जो किसी अन्य छात्रा को छेड़छाड़, अशिष्टता के साथ व्यवहार से प्रभावित करनेवाले हो, किसी उपद्रवी अथवा अनुशासनात्मक गतिविधियों में शामिल होना, जिससे नाराजगी, कठिनाई या मनोवैज्ञानिक क्षति या एक नवसिखुआ या कनिष्ठ छात्रा में डर या आशंका पैदा हो या छात्राओं को किसी भी कार्य करने या कुछ ऐसा करने का अनुरोध करना जो इस तरह के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं होगा और जिसमें शर्म अथवा शर्मिंदगी अनुभव करने का प्रभाव हो जिससे कि नवागतों अथवा किसी कनिष्ठ छात्राओं के शरीर अथवा मन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है"।
- भारत सरकार की ओर से प्राप्त डी.ओ.न. एफ 10–2 / 99 यू आई दिनांक 3.5.99 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं में नये प्रवेश लने वाले छात्रों की रैगिगं लेना एक दण्डनीय कृत्य है। शिकायत की पुष्टि होने पर ऐसी छात्राओं पर जो रैगिंग लेने की कार्यवाही में लिप्त है, कठोर कार्यवाही की जा सकती है।
- किसी छात्रा जिसे छात्रावास में अथवा विभागों में अथवा महाविद्यालय भवनों के अंदर रैगिंग किया गया है अथवा जिसने किसी दूसरे को रैगिंग होते हुए देखा है, उपर्युक्त सदस्यों में से किसी एक को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकती है, जो तत्काल प्रभाव से प्राचार्य या एंटी रैगिंग समिति अथवा किसी भी प्राध्यापक को सूचित कर सकता है। रैंगिंग विरोधी प्रकोष्ठ शिकायतों की जांच करेगी। अगर शिकायत सही साबित

होगा है और अपराधी की पहचान होती है तो प्राचार्य नियमानुसार दण्डित कर सकते हैं।

- प्रकोष्ठ समय–समय पर रैगिंग विरोधी नियमों के बारे में छात्राओं को जागरूक करेगा और अगर वे रैगिंग में शामिल होते है तो उसके परिणामों के बारे में सूचित करते हुए छात्रावासों तथा विभागों की सूचनापट पर प्रदर्शित करेगा।

**शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) एवं आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) :**

- **जीआरसी:** कार्यस्थल में महिला के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) के अधिनियम 2013 (2013 का 14) की धारा 4 (I)एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 21.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं एफ.सं 11013/3/2009–स्था (क) के अनुसार, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर ने उत्पीड़न संबंधी मामलों की जाँच करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

**जीआरसी से सहायता की माँग कौन–कौन कर सकता है ?**

- राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर की कोई भी महिला कर्मचारी (संकाय, छात्रा अथवा स्टाफ) ।

**अगर आपको परेशान किया गया है तो, आप क्या करेगें?**

- प्राचार्य, आंतरिक शिकायत समिति प्रभारी या अन्य सदस्य अथवा किसी भी प्राध्यापक को सूचित कर सकते हैं।

**अगर शिकायत पर्यवेक्षक या जीआरसी–आईसीसी के विरूद्ध है तो –**

- आप जीआरसी से व्यक्तिगत रूप से या कॉल करके या हस्तलिखित, टाइप और हस्ताक्षर किया हुआ, ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप grievance@gmgcudaipur.org को सीधे मेल कर सकते हैं।
- आप प्राचार्य या आंतरिक शिकायत समिति प्रभारी या अन्य सदस्य से सीधे मिल सकते भी हैं ।
- निश्चिंत रहे आपकी शिकायत को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।

**महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र की अनिवार्यता सम्बन्धी नियम :**

- महाविद्यालय की प्रत्यके छात्रा को महाविद्यालय कैम्पस में अपना परिचय पत्र अपने साथ रखना होगा।
- परिचय पत्र अभाव में पुस्तकालय में प्रवेश एवं छात्रसंघ चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
- परिचय पत्र खो जाने की दशा में दुबारा तभी बनेगा जब छात्रा पांच रूपये के स्टाम्प पर कोर्ट से शपथ पत्र तैयार कर प्रस्तुत करेगें तथा महाविद्यालय की नियम फीस जमा कराऐंगे।

**साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड सम्बन्धी नियम :**

- महाविद्यालय में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों के लिये साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड बने हुए है। अपने वाहन की सुरक्षा के लिये विद्यार्थियों को चाहिये कि उसे निधारित स्टैण्ड में रखकर चौकीदार से टोकर प्राप्त करें, जिससे स्टैण्ड के चौकीदार पर उसकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व रहें।
- निर्धारित स्थान से पृथक स्थान पर साईकिल/स्कूटर रखने पर उसकी सुरक्षा का दायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा।
- छात्राएँ अपने वाहन मुख्य भवन के पोर्च के सामने सामने न रखें।

**कॉलेज कैण्टीन सम्बन्धी नियम :**

- महाविद्यालय में छात्राओं /कर्मचारियों की सुविधा के लिये कैन्टीन है। इसमें रियायती दरों पर अल्पाहार प्राप्त होता है। कैण्टीन में बैठ कर हल्ला करना, गन्दगी फैलाना, तोड–फोड़ करना या अल्पाहार की कीमत अदा न करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर छात्रा को दण्डित कर उसके चरित्र प्रमाण पत्र को रोका जा सकता है।

**विश्वविद्यालय परीक्षा सम्बन्धी नियम :**

- छात्रा को जिन विषयों में प्रवेश दिया गया है, उन्हीं विषयों को लेकर परीक्षा आवेदन–पत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा, अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त मानते हुए परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
- पूरक परीक्षा के लिये फॉर्म अलग से भरना होता है। अतः विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरते समय इसका पूर्ण ध्यान रखें।
- विश्वविद्यालय एनरोलमेन्ट फॉर्म पूर्ण सावधानी से भरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तथा सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अलावा अन्य स्थानों से आने वाली छात्राएँ ''एलिजिबिलीटी'' फॉर्म में किसी प्रकार की कमी रहने पर स्वयं जिम्मेदार मानी जायेंगी एवं एनरोलमेन्ट फॉर्म भर कर समय पर जमा कराना छात्रा की स्वयं की जिम्मदारी होगी।
- परीक्षा में नकल करना एक दंडनीय अपराध है अतः छात्राओं को इस अपराध से दूर रहने का परामर्श दिया जाता है।
- नकल करते हुए पकडे जाने पर छात्रा की उस वर्ष की परीक्षा निरस्त की जा सकती है एवं आगामी वर्षों की परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है ।
- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम नकल के मामले की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज की जाती है तथा आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है ।
- परीक्षा के दौरान महाविद्यालय के मूत्रालयों व शौचालयों में पाठ्य सामग्री ले जाना वर्जित है। ऐसी पवित्र सामग्री को मलमूत्र में डालना एक हेय और घृणित कार्य है।

**कोविड –19 के लिए दिशा निर्देश**

- अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "No mask No entry" की पालना आवश्यक है।
- समस्त विद्यार्थियों एवं स्टाफ द्वारा महाविद्यालय परिसर में सामाजिक दूरी (**दो गज की दूरी)** का ध्यान रखा जावे एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर अनावश्यक रूप से एकत्रित न होवें।
- महाविद्यालय परिसर में थूंकने पर प्रतिबन्ध है एवं उल्लंघन करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

# छात्रावास

## (कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अधीन है।)

महाविद्यालय में तीन छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध है।

1. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय छात्रावास, जिसमें सभी वर्गों की छात्राएँ आवेदन कर सकती हैं।
2. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय जनजाति छात्रावास (दो), जिसमें केवल जनजाति छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. छात्रावास के नियम दोनों छात्रावासों की छात्राओं पर समान रूप से लागू होंगे।

सरकार की नीति के अनुसार सामान्य छात्रावास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग छात्राओं के क्रमशः 16, 12, 21 एवं 3 प्रतिशत तथा MBC का 1% स्थान पर आरक्षण रहेगा।

**छात्रावास सम्बन्धी नियम :**

छात्रावास में केवल नियमित छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा।

1. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने के लिय निर्धारित आवेदन–पत्र प्रेषित किया जाना चाहिये।
2. नई छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश पिछले वर्ष की परीक्षा के अंकों की वरीयता सूची के आधार पर दिया जायेगा। अतः आवेदन–पत्र के साथ अंक तालिका की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
3. गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश वर्जित होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश के समय माता–पिता या संरक्षक को स्थानीय संरक्षक का नाम व अभ्यागतों की सूची मय हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट आकार की फोटो के आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा स्थानीय संरक्षक के हस्ताक्षर पिता द्वारा सत्यापित होने चाहिये। छात्रावास में प्रवेश प्राप्ति के पश्चात् छात्रा को अपने स्थानीय संरक्षक एवं अभ्यागत (केवल दो व्यक्ति) के छाया चित्र वार्डन/मैट्रन को प्रस्तुत करने होंगे। छात्राओं को इनके अतिरिक्त अन्य किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में वार्डन/मैट्रन से सम्पर्क किया जा सकता है।
5. छात्रा छात्रावास की वार्डन की आज्ञा के बिना छात्रावास से बाहर नहीं जा सकेगी । संध्या प्रार्थना के पश्चात वार्डन/मैट्रन द्वारा उपस्थिति ली जायेगी।

6. छात्रा स्थानीय संरक्षक के यहाँ निवास करना चाहती है तो उसे अपने माता–पिता या संरक्षक का प्रार्थना–पत्र मय हस्ताक्षर छात्रावास वार्डन/मैट्रन को प्रस्तुत कर 'रात्रि विश्राम अनुमति–पत्र' प्राप्त करना होगा।
7. स्थानीय संरक्षक के यहाँ ठहरने पर वापसी के समय संरक्षक का यह प्रमाण–पत्र साथ लाना होगा जिसमें छात्रा के पहुँचने एवं लौटने का समय एवं दिनांक अंकित हो।
8. छात्राएँ वार्डन/मैट्रन की आज्ञा प्राप्त कर 3 बजे से 5 बजे के बीच बाजार जा सकती हैं।
9. छात्रावास के बाहर जाने पर या आने पर चौकीदार के पास रखे रजिस्टर में छात्राएँ सभी सूचनाएं अंकित कर अपने हस्ताक्षर करें।
10. छात्रा कमरे के फर्नीचर की देखभाल के लिये स्वयं उत्तरदायी होगी। हानि होने पर आर्थिक दण्ड भी दिया जा सकता है।
11. महाविद्यालय में आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
12. महाविद्यालय में दशहरा, शीतकालीन एवं ग्रीष्मावकाश होने पर या किसी अन्य कारण से महाविद्यालय बन्द किये जाने पर छात्रावास भी बन्द रहेगा। ऐसे अवकाश में किसी भी छात्रा को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
13. छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा समाप्त होने पर तीन दिनों में छात्रावास खाली कर देना होगा।
14. प्रत्येक छात्रा के लिये मैस की सदस्यता एवं मैस सम्बंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।
15. छात्रावास में छात्रा की उपस्थिति के दिन से ही मैस में भोजन का भुगतान देय होगा।
16. मैस के भुगतान में कटौती तभी मिलेगी जब छात्रा सप्पूर्ण माह लगातार छात्रावास में विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित रहेगी। इसकी सूचना पहले ही दी जानी चाहिये।
17. छात्रावास की प्रत्येक छात्रा को 2 माह 10 दिवस की अग्रिम मैस फीस जमा करवानी होगी।
18. सत्र 2021–22 के लिए संभावित प्रवेश शुल्क 2530 रु प्रति वर्ष + 270 रु प्रतिवर्ष छात्रा कोष + संभावित 2 माह 10 दिवस की अग्रिम मैस फीस (1800X 2)–3600+600 रु = 7000 रु प्रति वर्ष कुल प्रवेश शुल्क।
19. छात्रा को भोजन शुल्क महीने की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से देना होगा। अन्यथा 50 रू. प्रतिमाह जुर्माना देना होगा।
20. छात्राएँ छात्रावास के नियमों का पूर्णतया पालन करेंगी तथा छात्रावास में पूर्ण अनुशासन बनाये रखेंगी। ऐसा नहीं करने पर उनको छात्रावास से निकाला भी जा सकता है।
21. जो छात्राएँ एक स्नातकोत्तर परीक्षा पास कर चुकी हैं और किसी दूसरी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेती हैं तो उन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
22. आवश्यकतानुसार शुल्क एवं नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार प्राचार्य को होगा।

**छात्रावास के शुल्क**

1. भोजन पर संभावित शुल्क : 1800.00 रू प्रति माह
2. अन्य संभावित शुल्क : 2530.00 रू प्रति वर्ष
3. छात्राकोष : 270.00 रू प्रति वर्ष

**नोट :**

1. मैस की व्यवस्था छात्राएं स्वयं करेंगी।
2. मैट्रेन मैस का सारा काम देखेंगी।
3. बिजली और पानी के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त पानी और बिजली के प्राप्त बिल के अनुपात में बढ़ी हुई राशि का भुगतान छात्राओं द्वारा देय होगा।